


15-3-24 पत्राफली पेश। वकील प्रार्थी की ओर से
कूल वर पत्र पेश कर निवेदन किया कि
प्रार्थी का अप्रार्थी संख्या-1 के साथ
शाहीनामा हो चुका है अतः यह प्रार्थना



फर्द अहकाम

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>पत्र इसके नहीं चलाए जाते हैं इसी प्रकार की यह प्रथम पत्र इसी स्तर पर आरंभ किया जाता है पत्रावली का इस तरीके तक सीमा है जो साक्षर हो सके है।</p> <p>निर्णय लिखकर नाम खुले न्यायालय में सुझाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  (मकोल डुमल पीण्ड) Rofa So उपखण्ड अधिकारी घड़साना </p>	